

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, आगरा

PWD-T5

प्रमाण पत्र संख्या १५४

/न्याय सहा0-3

दिनांक १३/१२/२०१७



## हैसियत प्रमाण पत्र

1. प्रार्थी का नाम :- श्री प्रतीक मिश्रा
2. पिता/पति का नाम :- श्री संदीप मिश्रा
3. निवास स्थान  
(अ) पूरा स्थायी पता दूरभाष सहित :- 26 जयराम बाग कालौनी, दयालबाग, तहसील व जिला आगरा।  
(ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित :- 26 जयराम बाग कालौनी, दयालबाग, तहसील व जिला आगरा।
4. व्यवसाय :- ठेकेदारी
5. अचल सम्पत्ति का विवरण :- निम्नवत् है:-

क्षेत्रफल/भूमि/भवन का स्थान	सर्किल रेट (रु0)	मूल्यांकन (रु0)	कवर्ड एरिया व0मी0 में	सर्किल रेट (रु0)	मूल्यांकन (रु0)	योग कुल मूल्यांकन(रु0)
111.47 वर्ग मीटर एक किता भूखण्ड संख्या 26 खसरा संख्या 156 वाकै जयराम बाग कालौनी मौजा जगनपुर मुस्तकिल हरीपर्वत वार्ड तहसील व जिला आगरा उक्त भूखण्ड में 18.57 वर्ग मीटर में आवासीय निर्मित है। व 18.57 वर्ग मीटर में टीन सैड निर्मित है।	13,500	15,04,845	आवासीय गाटर पत्थर 18.57	13,000	2,41,410	18,94,815
			टीन सैड 18.57	8000	1,48,560	
कुल योग:-						18,94,815

6. उप जिलाधिकारी सदर आगरा की आख्या दिनांक 20/12/2017 एवं कार्यालय की परीक्षा आख्या के उपरान्त रु0-12,00,000/- (रु0-बारह लाख मात्र) की धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
7. बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिये बैंक का नाम/खाता संख्या व उसमें रखी धनराशि का विवरण दिया जाएं/इसके लिये बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
8. हैसियत प्रमाण पत्र के लिये हैसियत के रूप में जमा धनराशि दर्शायी जाती है तो वह धनराशि कम से कम तीन माह से पहले से बैंक में जमा होनी चाहिये और कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिये।
9. प्रार्थी का पैन नम्बर **AQEPM6210E** हैं।
10. प्रार्थी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर यदि उक्त वर्णित सम्पत्ति विद्वत् कर दी जाती है तो यह हैसियत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. यह प्रमाण पत्र निर्गत होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये केवल ठेकेदारी कार्य हेतु मान्य होगा।
12. यदि आवेदक की उक्त आवासीय भूमि कहीं पर बन्धक हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय में वादग्रस्त हो और आवेदक द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया हो तो संज्ञान में आने पर यह हैसियत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
13. यह हैसियत प्रमाण पत्र केवल ठेकेदारी कार्य हेतु निर्गत किया जा रहा है। यह हैसियत प्रमाण पत्र

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, आगरा PWT-4

प्रमाण पत्र संख्या 1278/न्याय सहा0-3

दिनांक

5-1-2018

## चरित्र प्रमाण पत्र

- |  |   |
|--|---|
| 1. आवेदक का नाम                          | श्री प्रतीक मिश्रा                                  |
| 2. पिता/पति का नाम                       | श्री संदीप मिश्रा                                   |
| 3. आयु                                   | 23 वर्ष   |
| 4. शैक्षिक योग्यता                       | स्नातक  |
| 5. व्यवसाय                               | शिक्षा  |
| 6. पूरा स्थायी पता (दूरभाष सहित)         | 26, जयराम कालौनी, दयालबाग, न्यूआगरा, आगरा।          |
| 7. पूरा अस्थायी पता (दूरभाष सहित)        | 26, जयराम कालौनी, दयालबाग, न्यूआगरा, आगरा           |
| 8. आपराधिक मुकदमों का विवरण              | आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।                |
| 9. आवेदक के परिवार के सदस्यों के आपराधिक | आवेदक के परिवारीजनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। |
| 10. सामान्य ख्याति                       | अच्छी   |



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा से प्राप्त पत्रांक वीआरपी-पीडब्लूटी- 4/1642/2017 दिनांक 23-12-2017 के आधार पर उपरोक्त चरित्र प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया गया।  
नोट :-

1. यह प्रमाण पत्र तीन वर्ष के लिये मान्य होगा, इससे पूर्व आपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरुद्ध के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को दें और प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त किया जायेगा।
2. इस प्रमाण पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा के कार्यालय में एक रजिस्टर में विधिवत् अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति रजिस्टर में रखी जायेगी।
3. इस प्रमाण पत्र को निरस्त करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।
4. यह प्रमाण पत्र केवल ठेकेदारी कार्य हेतु ही मान्य होगा। इस बीच यदि आवेदक उपरोक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला संज्ञान में आता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(राकेश कुमार मालपाणी)  
अधिवक्ता जिला मजिस्ट्रेट (वि०रा०)  
आगरा।

(गौरव दयाल)  
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर  
आगरा